JAMIA MILLIA ISLAMIA

(A Central University by an Act of Parliament)
Maulana Mohammad Ali Jauhar Marg, New Delhi-110025

जामिया मिल्लिया इस्लामिया

(संसदीय अधिनियमानुसार केन्द्रीय विश्वविधालय) मौलाना मोहम्मद अली जौहर मार्ग, नई दिल्ली-110025 टेली : 2

: 26984075, 26988044

: 26985176, 26981717

फैक्स :

: 26980229

ईए मेल : sashraf@jmi.ac.in

वेबसाइट : http//jmi.ac.in



कुलसचिव कार्यालय

Office of the Registrar

F.No.03/L&O/RO/JMI/2015

July 21, 2015

NOTIFICATION

This is to notify for the information of all concerned that the President of India in his capacity as the Visitor of Jamia Millia Islamia has been pleased to accord his assent for amendment/addition to the existing Statute 37 of JMI Act, 1988 relating to the removal of a teacher or a member of the academic staff, as conveyed by the Ministry of Human Resource Development, Deptt. of Higher Education vide their letter No.F.6-9/2012-Desk-U dated 25th June, 2015.

The amended Statute 37 as approved would now be read as shown in the Annexure.

(Prof. Shahid Ashraf) Registrar

Copy for information & necessary action to:-

- 1. The Secretary to the Govt. of India, MHRD, New Delhi
- 2. The Secretary, University Grants Commission, New Delhi
- 3. The Under Secretary, Ministry of HRD, (Deptt. of Higher Education), New Delhi
- 4. All Deans of Faculties/DSW/Directors/Hony. Directors of the Centres/HoDs, JMI
- 5. The Controller of Examinations, JMI
- 6. The Chairperson, Standing Committee for Act, Statutes & Ordinances (SC-ASO), JMI
- The Hony. Director, FTK Centre for Information Technology, JMI with the request to incorporate in the appropriate place of the University's Statutes and also for display on the Jamia's Website.
- 8. The Additional Director, FTK Centre for Information Technology, JMI
- 9. The Finance Officer, JMI
- 10. The Jt. Registrar (HRD), JMI
- 11. The Asstt. Registrar (Admn.), JMI He is requested to please get the correction incorporated in the printed copies of Jamia Act, Statutes available in his Branch.
- 12. The Asstt. Registrar (Establishment), JMI
- 13. The Media Co-ordinator, JMI
- 14. The Hindi Officer, JMI with the request to pursue uploading on University's website and updating the amendment in the relevant Statute.
- 15. The Secretary to the Vice-Chancellor, JMI
- 16. The Asstt. Registrar (Legal & Ord.), JMI
- 17. The Asstt. Registrar (A&C), JMI
- 18. The Asstt. Registrar (Schools), JMI
- 19. The Asstt. Registrar (R.O.), JMI
- 20. File /Folder

Assistant Registrar (Legal & Ordinance)

ANNEXURE

Amended Statute 37 captioned "REMOVAL OF TEACHERS" as approved vide MHRD No.F.6-9/2012-Desk-U dated June 25, 2015

Amendments in Para No. 5 and 6 of the Statute 37 of Jamia Millia Islamia

Para No.	Existing	Amended
5	The removal of a teacher or a member of the academic staff shall require a two-thirds majority of the members of the Majlis-i-Muntazimah (Executive Council) present and voting.	The removal of a teacher or a member of the academic staff shall require a two-thirds majority of the members of the Majlis-i-Muntazimah (Executive Council) present and voting.
		Provided that the teacher or the member of the academic staff may prefer a review against the penalty of removal from service, which may be considered by the Executive Council.
6	The removal of a teacher or a member of the academic staff shall take effect from the date on which the order of removal is made:	The removal of a teacher or a member of the academic staff shall take effect from the date on which the order of removal is made.
	Provided that where a teacher or a member of the academic staff is under suspension at the time of his removal, the removal shall take effect from the date on which he was placed under suspension.	- Delete -

JAMIA MILLIA ISLAMIA

(A Central University by an Act of Parliament)

Maulana Mohammad Ali Jauhar Marg, New Delhi-110025

जामिया मिल्लिया इस्लामिया

(संसदीय अधिनियमानुसार केन्द्रीय विश्वविधालय) मौलाना मोहम्मद अली जौहर मार्ग, नई दिल्ली-110025 टेली : 26984075, 26988044

: 26985176, 26981717

फैक्स : 26980229

ईए मेल : sashraf@jmi.ac.in

वेबसाइट : http//jmi.ac.in



कुलसचिव कार्यालय

Office of the Registrar

फा. नं 03 / एल.एंड ऑ / आर.ओ. / जा.मि.इ. / 2015

21 जुलाई, 2015

अधिसूचना

सभी संबंधितों की सूचना हेतु अधिसूचित किया जाता है कि भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कुलाध्यक्ष की हैसियत से जामिया मिल्लिया इस्लामिया अधिनियम, 1988 के मौजूदा परिनियम 37, जो किसी अध्यापक अथवा अकादिमक स्टाफ के निष्कासन से संबंधित है, में संशोधन/परिवर्धन हेतु अपनी सहमित प्रदान की है जिसके बारे में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग ने अपने पत्र सं. एफ.6–9/2012—डेस्क—यू, दिनाँक 25 जून, 2015 द्वारा सूचित किया है।

यथाअनुमोदित परिनियम 37 दिए गए अनुलग्नक के अनुसार मान्य होगा।

प्राटिय अग्री २५) (प्रो. शाहिद अशरफ) कुलसचिव

सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रतिलिपि :

- 1. सचिव, भारत सरकार, मा.सं.वि.मं., नई दिल्ली
- 2. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली
- 3. अवर सचिव, मा.सं.वि. मंत्रालय, (उच्चतर शिक्षा विभाग), नई दिल्ली
- 4. जा.मि.इ. के सभी संकायाध्यक्ष / डीन, विद्यार्थी कल्याण, / केन्द्रों के निदेशक / मानद निदेशक / सभी विभागाध्यक्ष ।
- परीक्षा नियंत्रक, जा.मि.इ.
- 6. अध्यक्ष, अधिनियम, परिनियम एवं अध्यादेश की स्थायी समिति (एसएसी-एएसओ), जा.मि.इ.
- मानद निदेशक, एफ.टी.के. सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र, जा.मि.इ.—इस अनुरोध के साथ कि उपर्युक्त को विश्वविद्यालय के परिनियम में उपयुक्त स्थान पर शामिल किया जाए तथा साथ ही जामिया की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाए।
- 8. अपर निदेशक, एफ.टी.के. सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र, जा.मि.इ.
- 9. वित्त अधिकारी, जा.मि.इ.
- 10. संयुक्त कुलसचिव (मा.सं.वि.), जा.मि.इ.
- 11. सहायक कुलसचिव (प्रशा.), जा.मि.इ.— आपसे अनुरोध है कि आप अपनी शाखा में उपलब्ध जामिया अधिनियम, परिनियमों की मुद्रित प्रतियों में कृपया संशोधन करवाएँ।
- 12. सहायक कुलसचिव (स्थापना), जा.मि.इ.
- 13. मीडिया समन्वयक, जा.मि.इ.
- 14. हिन्दी अधिकारी, जा.मि.इ. इस अनुरोध के साथ कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोडिंग का अनुसरण किया जाए तथा संबंधित परिनियम में संशोधन को अपडेट किया जाए।
- 15. कुलपति के सचिव, जा.मि.इ.
- 16. सहायक कुलसचिव (विधि एवं अध्यादेश), जा.मि.इ.
- 17. सहायक कुलसचिव (ए एण्ड सी), जा.मि.इ.
- 18. सहायक कुलसचिव (स्कूल), जा.मि.इ
- 19. सहायक कुलसचिव, (कुलसचिव कार्यालय), जा.मि.इ.
- 20. फाइल / फोल्डर

Sanonia Bretta

सहायक कुलसचिव (विधि एवं अध्यादेश)

मा.सं.वि.मं. सं. एफ.6–9/2012—डेस्क—यू, दिनाँक 25 जून, 2015 द्वारा यथाअनुमोदित संशोधित परिनियम 37 अनुशीर्षक ''अध्यापकों का निष्कासन''

जामिया मिल्लिया इस्लामिया के परिनियम 37 के पैरा सं 5 और 6 में संशोधन

पैरा सं.	मौजूदा	संशोधित
5	किसी अध्यापक अथवा अकादिमक स्टाफ सदस्य का निष्कासन हेतु मजलिस-ए-मुंतिजमाह (कार्य परिषद) के कुल सदस्यों में से दो-तिहाई की मौजूदगी और मतदान के बहुमत का होना आवश्यक है।	किसी अध्यापक अथवा अकादिमक स्टाफ सदस्य का निष्कासन हेतु मजिलस—ए—मुंतिजमाह (कार्य परिषद) के कुल सदस्यों में से दो—तिहाई की मौजूदगी और मतदान के बहुमत का होना आवश्यक है। साथ ही प्रावधान है कि कोई अध्यापक अथवा अकादिमक स्टाफ सदस्य सेवा से निष्कासन संबंधी दंड के विरुद्ध पुनर्विलोकन को अधिमान दे सकता है, जिस पर कार्य परिषद द्वारा विचार किया जा सकता है।
6	किसी अध्यापक अथवा अकादिमक स्टाफ सदस्य का निष्कासन उसी दिन से मान्य होगा जिस दिन से निष्कासन संबंधी आदेश जारी किया जाएगा : साथ ही प्रावधान है कि यदि निष्कासन के समय कोई अध्यापक अथवा अकादिमक स्टाफ सदस्य संदेहाधीन हो तो, उसका निष्कासन जिस दिन से वह संदेहाधीन हो, उस दिन से मान्य होगा।	किसी अध्यापक अथवा अकादिमक स्टाफ सदस्य का निष्कासन उसी दिन से मान्य होगा जिस दिन से निष्कासन संबंधी आदेश जारी किया जाएगा : — हटाया गया —